



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3427]	नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 21, 2019/आश्विन 29, 1941
No. 3427]	NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 21, 2019/ASVINA 29, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3769(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 48/2018, फा. सं. 300196/11/2017-आईटीए-I, दिनांक 14.09.2018, जिसे का.आ. 4862(अ) के तहत भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में—

(i) पैराग्राफ 1 में, उपवाक्य (क) में:-

“राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान” के स्थान पर “राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य सरकारी एजेंसियों से प्राप्त अनुदान” पढ़ा जाये।

[अधिसूचना सं. 81 /2019/फा. सं.196/11/2017-आईटीए-I]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक